2022/126

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट

श्री दिनेश कुमार गोपालिया
निवासी 784–ए अल्कापुरी तहसील उदयपुर
जिला उदयपुर।

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 22 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.03.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 08.12.2021 को ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 570मीन रकबा 1 बीघा गांव मानपुर की कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ बदलवाई गई थी एवं तहसीलदार आबूरोड के आदेश क्रमांक/राज/2001/605–8 दिनांक 24.03.2001 के द्वारा नगरपालिका आबूरोड एवं राज्य सरकार के नाम स्थानान्तरित हुई थी। उक्त आदेश की सम्पूर्ण पत्रावली एवं दस्तावेज की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 08.12.2021 को ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 570मीन रकबा 01 बीघा गांव मानपुर की कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ बदलवाई गई थी एवं तहसीलदार आबूरोड के आदेश क्रमांक/राज/2001/605–8 दिनांक 24.03.2001 के द्वारा नगरपालिका आबूरोड एवं राज्य सरकार के नाम स्थानान्तरित हुई थी। उक्त आदेश की सम्पूर्ण पत्रावली एवं दस्तावेज की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार [illegible] । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो [illegible] सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2022.04.20 16:15:59 IST Reason: SelfAttested (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner